संख्याः–120 /XLI–A / 2024–50 / 2023 / (E-59737)

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
वीर माधो सिंह भण्डारी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
देहरादून।

तकनीकी शिक्षा विभाग, देहरादूनः दिनांकः29जनवरी, 2024

विषयः– वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून में एकेडमिक भवन के निर्माण कार्यों के प्रशासनिक स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2223 / प्रशा. भवन तथा छात्रावास निर्माण–25 / 2023–24 दिनांक 19.09.2023 एवं पत्र संख्या– संख्या–2802 / शैक्षणिक भवन तथा छात्रावास निर्माण–25 / 2023–24 दिनांक 27.10.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में वीर माधो सिंह भण्डारी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून में एकेडमिक भवन के निर्माण कार्यों हेतु आगणन की कुल लागत धनराशि रू. 998.67 लाख के सापेक्ष टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोंपरांत एवं विभागीय व्यय समिति द्वारा प्रदत्त अनुमोदन / संस्तुत लागत रू. 975.38 लाख SL एवं रू. 7.93 लाख NSL अर्थात कुल धनराशि रू. 983.31 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उक्त धनराशि व्यय किये जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

i. उक्त कार्यों को वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून द्वारा स्वयं की बचतों से नियमानुसार सम्पन्न कराये जायेंगें तथा शासन स्तर से कोई भी वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी।
ii. उक्त धनराशि उसी कार्य के सापेक्ष व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि अनुमोदित की जा रही है। कार्य पर मदवार स्वीकृत आंगणन के अनुसार उतना ही व्यय किया जाय जितनी विस्तृत आंगणन धनराशि स्वीकृत की गयी है।
iii. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्त विभाग द्वारा निहित शर्तो के अनुसार कार्यदायी संस्था से निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 सुनिश्चित किया जायेगा।
iv. कार्य के आंगणन में सम्मिलित की जा रही GST देयता में प्राविधानित मदों की धनराशि पर वास्तविक एवं नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय। उक्त मद में व्यय की जाने वाली धनराशि पर भिन्नता हेतु विभागाध्यक्ष / कार्यदायी संस्था स्वयं जिम्मेदार रहेगें।
v. विश्वविद्यालय के शैक्षणिक भवन के निर्माण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि से 16 माह में पूर्ण कर लिया जायेगा। उक्त कार्य हेतु भूमि विश्वविद्यालय के स्वामित्व की, निर्विवादित होने तथा उपयुक्त होने के सम्बन्ध में सम्यक पुष्टि करते हुए में भविष्य के कार्यो हेतु मास्टर प्लान बनाये जायेगें।
vi. अनुमोदित धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा एक मद की धनराशि दूसरे मद में कदापि व्यय न की जाय। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा।
vii. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

viii. प्रश्नगत धनराशि का आहरण एवं व्यय नियमानुसार मितव्ययता को ध्यान में रखकर आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाये एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जायेगा।

ix. किसी भी शासकीय व्यय हेतु Procurement Rules, 2017 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–पांच भाग–1 (लेखा नियम), आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) व वित्त विभाग के शासनादेश सं0–193/XXVII(1)/2012 दिनांक 30.03.2012 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

x. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित् किया जाए।

xi. कार्य करते समय टेण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाये। यदि टेण्डर करने में कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर संगत कोष में वापस जमा कर दिया जाये।

xii. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप ही सामग्री प्रयोग में लायी जाये। विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होगी।

xiii. विभागाध्यक्ष/सक्षम अधिकारी द्वारा प्लान, स्ट्रक्चरल डिजाईन एवं विशिष्टियों पर हस्ताक्षर अवश्य किये जायेंगे, ताकि भविष्य में प्लान, डिजाइन या विशिष्टियों में कार्यदायी संस्था या Contractor के स्तर से परिवर्तन कर कार्य की गुणवत्ता प्रभावित की प्रवृत्ति को रोका जा सके।

xiv. परिसर में अग्नि सुरक्षा एवं विद्युतीकरण के प्रावधानों का विशेष ध्यान रखा जाय। समस्त विद्युत उपकरणों हेतु आई0ई0सी0–62561–7 के मानकों के अनुसार Earthing का कार्य तथा आकाशीय विद्युत से बचाव हेतु Lightning protection system IEC62305 मानकों के अनुरूप स्थापित किया जाय। कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व अग्नि सुरक्षा एवं विद्युतीकरण के प्रावधानों को सम्बन्धित विभाग से Vett करा लिया जाय तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात अग्नि सुरक्षा एवं विद्युतीकरण के कार्यों को मानकों के अनुसार पूर्ण किये जाने का प्रमाण–पत्र अवश्य प्राप्त किया जाए।

xv. N-S-I मदों कार्य हेतु शा0सं0–50/xxvii(7)/2012 दि012/04/2012, 152/887/मार्गसि०/रा०यो०आ० /2021 दिनांक 04.02.2021 एवं 103/XXVII(7)32/2007टी0सी0–1 दि० 21 जुलाई, 2022 तथा 1389/687/ मार्ग0सि0/रा०यो०आ०/2022 दिनांक 03.10.2022 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली संशोधित 2017 के अनुसार कार्यवाही की जाये ।

xvi. तकनीकी स्वीकृति जारी करने से पूर्व आगणन के प्रतिवेदन, Site plan तथा विभिन्न ड्राईंग पर प्र०वि०/ उपयोगकर्ता विभाग के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर प्राप्त करते हुये प्राविधानों तथा भवनों/संरचनाओं के layout पर सहमति प्राप्त कर ली जाये ।

xvii. विश्वविद्यालय एवं कार्यदायी संस्था के मध्य MOU के सम्बन्ध में शा0सं0 475/xxvii (7)2008 दिनांक 15 दिसम्बर, 2008, 571/xxvii(1)/2010 दिनांक 19 अक्टूबर, 2010 तथा 426/xxvii (7)/2013 दिनांक 22 फरवरी, 2013 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

xviii. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों /विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाये ।

xix. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा

लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

xx. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एंव मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रुप से उत्तरदायी होंगे।

xxi. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये ।

xxii. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219 (2006) दिनांक 30.05.2006 एवं पत्र संख्या–1003 दिनांक 30.06.2023 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये ।

xxiii. आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली संशोधित 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

xxiv. आगणन में प्रस्तावित कार्य की तकनीकी स्वीकृति से पूर्व संरचनाओं के समस्त डिजाइन, ड्राईंग एवं डी०पी०आर० को किसी मान्यता प्राप्त उच्च तकनीकी संस्थान से Vetting करा लिया जाये ।

xxv. कार्य प्रारम्भ से पूर्व प्रस्तावित समस्त कार्ययोजना की मृदा परीक्षण व भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्राप्त कर ली जाय ।

xxvi. तकनीकी स्वीकृति से पूर्व भवन के निर्माण/डिजाईन में भूकम्परोधी मानको IS–1893, IS–13920 तथा IS-4326 का प्राविधान किये जाने तथा भवन की संरचनात्मक सुदृढता (Structural stability) का प्रमाणपत्र किसी मान्यता प्राप्त Structural engineer से प्राप्त किया जाय ।

xxvii. आगणन में स्टील की मात्रा BBS के स्थान पर प्रतिशत के आधार पर ली गयी है, प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व स्टील की मात्रा की गणना BBS के अनुसार कर ली जाये

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 24-01-2024 16:26:05

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्याः–120 /XLI–A/2024–50/2023/(E-59737) तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ रोड़, देहरादून।
2. महालेखाकार (ऑडिट), महालेखाकार कार्यालय, कौलागढ रोड़, देहरादून।
3. जिलाधिकारी,देहरादून।
4. कुलपति, वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड, नेहरू कालोनी, देहरादून।
6. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन0आई0सी, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Signed by Dinesh Kumar Punetha
Date: 29-01-2024 16:16:03
(दिनेश कुमार पुनेठा)

/184710/2024

अनु सचिव।